फर्द अहकाम

विजय कुमार बनाम ललाराम वगै०

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 71/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		उत्तरदाता 4 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 2/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर
	2/6/25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आदेश से निस्तारित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस को श्रवण किया गया था। पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर वादी का वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिख कर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली के निर्णय मुताबिक इन्द्राज इन्तकाल जावे। पत्रावली कोलम 23 नोट होकर रजिस्टर से कम हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
71/2023

तारीख दायर
25/05/2023

तारीख फैसला
02/06/2025

1. विजय कुमार संचेती पुत्र स्व0 श्री ताराचन्द संचेती निवासी डी–43, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर जरिये मुख्त्यारखास श्री राजेन्द्र कुमार संचेती पुत्र स्व0 श्री ताराचन्द संचेती निवासी 702, अक्षय त्रिशला अपार्टमेंट, सी–57, महावीर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

वादी

बनाम

1. लालाराम मीणा पुत्र श्री मंगलराम मीणा निवासी–मथूरादासपुरा, ग्राम पंचायत लांगडियावास, तह0 जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत लांगडियावास, पंचायत समिति–जमवारामगढ, तह0 जमवारामगढ, जिला जयपुर। जरिये सरपंच/सचिव पिन 303109
3. पंचायत समिति जमवारामगढ जिला जयपुर जरिये विकास अधिकारी महोदय 303109
4. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, कलेक्ट्रेट परिसर, बनीपार्क, जयपुर पिन 302016

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री चन्द्रशेखर दाधीच :– वकील वादी।

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री चन्द्रशेखर दाधीच ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादी के एकल स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 148 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 149 रकबा 3.5000है0, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.1200है0 वाकै ग्राम मथूरादासपुरा पटवार हल्का लांगडियावास, तह0 जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वाद पत्र वादी की ओर से उसके अधिकृत मुख्त्यारखास द्वारा नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे वाद पत्र के तथ्यों की पूर्ण जानकारी प्राप्त है। वादी की उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमियों मे से खसरा नम्बर 150 रकबा 0.1200है0 भूमि में मंन्दिर बना हुआ है। जिस पर मालिकाना हक वादी का है। जिसकी पुष्टि उक्त वर्णित आराजियात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2076–2079 की प्रतियों से होती है। वादी की उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमियों खसरा नम्बर 148, 149 एवं 150 में प्रतिवादीगण को वादी की अनुमति के बिना, जबरन प्रवेश करने, अथवा उक्त भूमियों बाबत वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी करने का कोई विधिक अधिकार नही है। जिसके बावजूद भी प्रतिवादी सं0 2 द्वारा अपने पद एवं प्रतिष्ठा का दुरूपयोग करते हुए, योजनाबद्व तरीके से प्रतिवादी सं0 1 के अनुचित कृत्यों को प्रोत्साहन (अनुचित सहयोग करके) दिया जा रहा है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा योजनाबद्व तरीके से वादी की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा करने का असफल प्रयास किया जा रहा है तथा एक दुसरे की मिलीभगत से अवैध धन्धों का संचालन भी वी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 150 रकबा 0.1200है0 भूमि पर निर्मित भोमिया जी मंदिर के माध्यम से किया जा रहा है। जो गलत है। प्रतिवादीगण को वादी की अनुमति के बिना, वादी की खातेदारी भूमि में जबरन प्रवेश करने अथवा उक्त भूमि पर वादी की अनुमति के बिना, कोई भी कृत्य करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। हाल ही में प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 की अनुचित सह के आधार पर ही वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 150 पर निर्मित भोमियां जी के मंदिर में वादी द्वारा बनाई गई पुख्ता दीवार में तोड–फोड कर दी तथा वादी द्वारा लगवाये गये गैट को भी तुडवा दिया ताकि प्रतिवादी सं0 1 अपने अवैध धन्धों का संचालन रात्रि में उक्त मंदिर की आड मे करता रहे। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में वादी द्वारा पुलिस थाना जमवारामगढ एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

समक्ष भी आपराधिक परिवाद पेश किये जा चुके है। परन्तु प्रतिवादी सं0 2 के अनुचित संरक्षण के कारण, प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्व कोई प्रभावी कार्यवाही अभी तक नही हो सकी। इस कारण प्रतिवादी सं0 1 के हौशले बुलन्द होते जा रहे है एवं इसी कारण प्रतिवादी सं0 1 ने वादी को ऐलानिया धमकी दिनांक 05.01.2023 को दी गई। जबकि प्रतिवादी सं0 1 को वादी की खातेदारी भूमि पर जबरन प्रवेश करने एवं वादी की खातेदारी भूमियों के वादी के उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। वादी को अपनी खातेदारी भूमियो का समस्त प्रकार से उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 को वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 150 में निर्मित भोमियां जी के मंदिर में भी रात्रि में वादी की अनुमति के बिना जबरन प्रवेश करने अथवा उसकी आड में वहा से कोई व्यवसाय करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी सं0 1 द्वारा उक्त मंदिर की आड मे अक्सर वहां भीड एकत्रित करके अवैध रूप से अपने धन्धों का संचालन किया जाता है तथा वादी के कृषि कार्यो में दखलन्दाजी प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 के अनुचित संरक्षण के कारण की जा रही है। जो गलत है। जबकि वादी को अपनी खातेदारी भूमियों का समस्त प्रकार से उपयोग उपभोग करने एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 को वादी के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी नही पहुचाने बाबत पाबन्द कराने हेतु निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का अधिकार धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 के अनुसार प्राप्त है। अतः उक्त वर्णित विवादित आराजी खसरा नम्बर 148 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 149 रकबा 3.5000है0, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.1200है0 वाकै ग्राम मथूरादासपुरा, पटवार हल्का लांगडियावास, तह0 जमवारामगढ जिला जयपुर में जबरन व अवैध तरीके से स्वयं तथा अपने नुमाईदों के मार्फत प्रवेश नही करें तथा उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जे काश्त व समस्त प्रकार के उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत व दखलन्दाजी नही करें तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में बाले–बाले कोई परिवर्तन नही करें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। प्रतिवादीगणों को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी की बहस सुनी गई।

अतः वकील वादी की बहस का मनन करने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाकै ग्राम मथूरादासपुरा, पटवार हल्का लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 148 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 149 रकबा 3.5000है0, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.1200है0 में वादीगण के स्वामित्व की भूमि पर कब्जे–काश्त व समस्त प्रकार के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार क मजाहमत व दखलन्दाजी नही करे तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में बाले–बाले कोई परिवर्तन नही करें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 02/06/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर